

@Shahjahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 06.06.2021

थाना कलान पुलिस ने प्रतिबंधित जानवरों का शिकार कर माँस बेचकर लाभ कमाने वाले वांछित अभियुक्त को अवैध असलहा सहित किया गिरफ्तार।

श्री एस आनंद पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलायें जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी जलालाबाद महोदय पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष कलान के कुशल नेतृत्व में थाना कलान पुलिस को सफलता मिली।

इसी क्रम में दिनांक 06.06.21 की सुबह को थाना कलान पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर प्रतिबंधित जानवरों का शिकार कर माँस बेचकर लाभ कमाने वाले वांछित अभियुक्त चन्दू उर्फ चाँद मियां उर्फ अहमददीन पुत्र अहमद हुसैन खाँ निवासी मोहल्ला कटरा नील , नाई की मण्डी थाना ताजगंज जिला आगरा हाल पता हेतमपुर थाना कलान जिला शाहजहाँपुर को एक अवैध रायफल व 02 जिन्दा कारतूस सहित ग्राम भगवानपुर से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त:-

1-चन्दू उर्फ चाँद मियां उर्फ अहमददीन पुत्र अहमद हुसैन खाँ उम्र करीब 60 वर्ष निवासी मोहल्ला कटरा नील , नाई की मण्डी थाना ताजगंज जिला आगरा हाल पता हेतमपुर थाना कलान जिला शाहजहाँपुर

बरामदगी:-

1. एक रायफल 315 बोर
2. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

सम्बन्धित अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 209/21 धारा 429 भादवि व 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम थाना कलान
2. मु0अ0सं0 251/21 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कलान

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिंह
2. उ0नि0 मो0 आरिफ
3. उ0नि0 गोविन्द सिंह
4. एचसी आरजू खान
5. का0 2107 रिकू चौहान